न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 100/2023

मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय–27 ए, डवलपड इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुईन्डी, चेन्नई एवं शाखा कार्यालय–21/22, उपरी भूतल, जयपुर इलैक्ट्रोनिक मार्केट बिल्डिंग, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रमोद प्रकाश शर्मा।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सोना देवी मीणा पत्नि श्री कन्हैया लाल मीणा, पता– शिव कॉलोनी, चक दौसा, दौसा राजस्थान–303303

   एवं

   पता–प्लॉट नंबर आई 356, खसरा नंबर 1626, शिव कॉलोनी, दौसा खुर्द, दौसा राजस्थान–303303

   (ऋणी)

2. श्रीमती प्रभू देवी मीणा पत्नि श्री दिलीप कुमार मीणा, पता– शिव कॉलोनी, चक दौसा, दौसा राजस्थान–303303

   एवं

   पता–प्लॉट नंबर आई 356, खसरा नंबर 1626, शिव कॉलोनी, दौसा खुर्द, दौसा राजस्थान–303303

   (सहऋणी)

3. श्री शंकर दयाल मीणा पुत्र श्री कन्हैया लाल मीणा, पता– शिव कॉलोनी, चक दौसा, दौसा राजस्थान–303303

   एवं

   पता–प्लॉट नंबर आई 356, खसरा नंबर 1626, शिव कॉलोनी, दौसा खुर्द, दौसा राजस्थान–303303

   (सहऋणी)

4. श्री शम्भू दयाल मीणा पुत्र श्री कन्हैया लाल मीणा, पता– शिव कॉलोनी, चक दौसा, दौसा राजस्थान–303303

   एवं

   पता–प्लॉट नंबर आई 356, खसरा नंबर 1626, शिव कॉलोनी, दौसा खुर्द, दौसा राजस्थान–303303

   (सहऋणी)

5. श्री दिलीप कुमार मीणा पुत्र श्री कन्हैया लाल मीणा, पता– शिव कॉलोनी, चक दौसा, दौसा राजस्थान–303303

   एवं

   पता–प्लॉट नंबर आई 356, खसरा नंबर 1626, शिव कॉलोनी, दौसा खुर्द, दौसा राजस्थान–303303

   (सहऋणी)

........अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थिति : श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।

....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

दिनांकः 22.12.2023

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 11,70,040/-(रूपये ग्यारह लाख पांच लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नंबर आई-356, खसरा नंबर 1626, शिव कॉलोनी, दौसा खुर्द, दौसा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 90 वर्गगज है, उससे जुडा भाग व हिस्सा सहित जो कि श्रीमती सोना देवी मीणा पत्नि स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल मीणा के स्वामित्व की है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22 दिसंबर 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा